



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक :- 4370/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/III

दिनांक : १९/०९/2025

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

एतद्वारा, श्री पंकज शर्मा, वरिष्ठ औद्योगिक अभियन्ता, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को Narsee Monjee Institute of Management(NMIMS), Mumbai से Master of Business Management (MBA) Online पाठ्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से (शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर हेतु) किये जाने एवं कार्यालयेत्तर अध्ययनार्थ अनापत्ति (NOC) एवं तत्सम्बन्धी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अग्रलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क) उपर्युक्त अनुमति केवल उसी दशा में प्रदान की जा रही है कि प्रश्नगत अनुमति/अध्ययन से परिषद् के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा आपकी कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा ही करें।
- (ख) यदि अनुमति प्रदान करने के उपरान्त ऐसा भासित हो कि उक्त अनुमति प्रदान करने से आपके कार्य में शिथिलता आ गयी या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना कारपोरेशन के हित में नहीं है तो प्रदान की गयी अनुमति को कारपोरेशन द्वारा किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
- (ग) उपर्युक्त अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप आप मात्र इस आधार पर अपने अवकाश/तैनाती अथवा स्थानान्तरण सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हो जायेंगे।
- (घ) उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिये आपको किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः परिषदीय/कारपोरेशन एवं लोकहित को दृष्टिगत करते हुये ही अनुमन्य होगा।
- (ङ) किसी बहुवर्षीय पाठ्यक्रम/अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (च) आपका दायित्व होगा कि स्वयं सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम/डिग्री/संस्थान इत्यादि, सम्बन्धित नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त विभागीय अनुमति को स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (छ) अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किये जाने का आशय यह नहीं है कि यदि आप प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो कारपोरेशन आपको सेवा में उसका लाभ देने के लिये बाध्य होगा।
- (ज) सम्बन्धित अध्ययन पर होने वाला व्यय आपके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 4370/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/III तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टॉफ आफिसर, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०सी०वी० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित कार्मिक अनुभाग, उपाकालि, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक/वै०पत्रा०/कट फाईल।

(डा० आर० जे० मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा०सं०)